उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-12/2021-22

ब्रज किशोर दास

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य

-: आदेश :-

दिनांक

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्तओं को सुना। अभिलेखवद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–09/2012–13 आदेश दिनांक–22.01.2021 एवं आदेश दिनांक–29.01.2021 के विरूद्ध अपीलवाद दायर किया है।

अपील आवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–421/रा0 दिनांक–04/09/2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया कि पी0 ए0 केश नं0–09/2012.13 (ब्रज किशोर दास वगै0 बनाम् रैयान मौजा–लता दिकवानी) में संथाल परगना काश्तकारी पूरक अधिनियम–1949 की धारा–06 के तहत प्रक्रिया चल रही है। वादगत मौजा–लता दिकवानी नं0–54 के तीनों आवेदक का वंशावली निम्न प्रकार है–

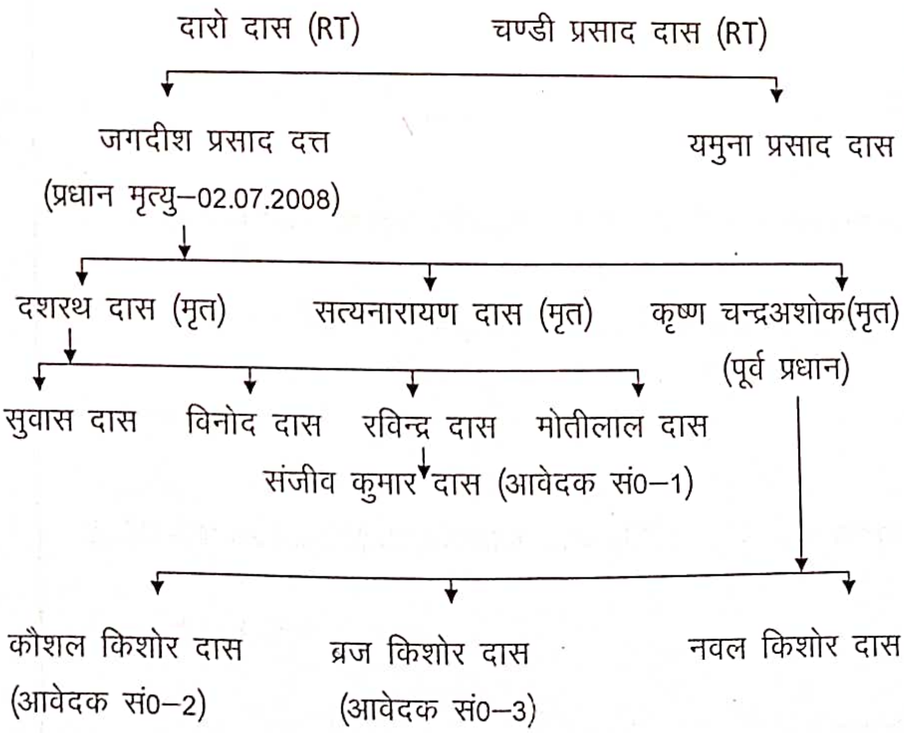

उपरोक्त वंशावली से स्पष्ट है कि संजीव कुमार दास (आवेदक–1), कौशल किशोर दास (आवेदक सं0–2) एवं ब्रज किशोर दास (आवेदक सं0–3) के भतीजा है तथा जमावंदी रैयत चण्डी प्रसाद दास के वंशज है, जिसके परदादा जगदीश प्रसाद दत्त पूर्व में प्रधान थे।

उपरोक्त वर्णित जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0 ए0 केश नं0–09/2012–13 में अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया। निम्न न्यायालय में मौजा–लता दिकवानी नं0–54 प्रधानी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। ऐसी स्थिति में अपीलवाद की स्वीकृत करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन प्रविष्टि बिंदु पर खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.22 14:07:22 +05:30
Location: 192.168.29.8